

राजस्थान सरकार
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प

आदेश रवीमारवेड़ा

प्रार्थी के "खाता गुरुस्ती" प्रार्थना पत्रपटवारी

व भू.अ.नि. की रिपोर्ट तथा तहसीलदार

/नायब तहसीलदार की अनुशांसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 के अनुसार में ग्राम तहसील

जिला की जमाबन्दी सम्वत् में खाता संख्या

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

| क्र.सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|
| 1. | रवीमारवेड़ा | 411 | लुम्बा पि. उमरा | लुम्बाराम पिता उमराराम |

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी और
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर

दिनांक :- 09/10/2025

क्रमांक :- 125/309

प्रतिनिधि :- को चेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शोध

1. तहसीलदार किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें। को सूचनाएं।

2. प्रार्थी श्री लुम्बाराम पिता उमराराम

3. रक्षित पत्रावली को सूचनाएं।

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर